

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

सुशांत झा,
विशेष सचिव,

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा/कटिहार/पटना-7

पटना, दिनांक-.....

विषय – वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के 'मुख्यशीर्ष'-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104- बहुशिल्प मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/ इंजीनियरींग/ तकनीकी महाविद्यालय विपत्र कोड-43-4202021040102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-727, दिनांक 25.02.2019 के द्वारा नवस्थापित विभागान्तर्गत 3 (तीन) राजकीय पोलिटेकनिक यथा औरंगाबाद/खगड़िया/भोजपुर में वर्ष 2019-20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशिनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 30,00,000=00 (तीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि मंतर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर- अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल रु० 30,00,000=00 (तीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषयशीर्ष	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा	राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार	राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7	कुल आवंटित राशि (रुपये में)
52 02 मशीन एवं उपस्कर-अन्य	10,00,000=00	10,00,000=00	10,00,000=00	30,00,000=00

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(क) दस लाख रुपये

(ख) दस लाख रुपये

(ग) दस लाख रुपये

(घ) तीस लाख रुपये

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि. (2), दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-6115, दिनांक-13.08.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि माहालेखाकर, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि.(2), दिनांक-29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
6. टी. भी. नं. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुशांत झा),
विशेष सचिव,

ज्ञापांक- वि० प्रा० (III) ब³-08/2013(पार्ट-1) /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विशेष सचिव,

ज्ञापांक-वि० प्रा० (III) ब³-08/2013(पार्ट-1) /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मढ़ौरा, कटिहार एवं गुलजारबाग (पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विशेष सचिव,

ज्ञापांक-वि० प्रा० (III) ब³-08/2013(पार्ट-1) 139/पटना, दिनांक 8/3/2019

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो०)/योजना सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
राज गौतम
813115

राज गौतम